संख्या- 37 /2020/सा0-268/38-2-2020-सा0-1133/18टीसी

प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 09 अक्टूबर, 2020**

विषय:- जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था के परिवर्तन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-31/2020/सा0-235/38-2-2020-सा0-1133/18टीसी दिनांक 26 अगस्त, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के आवासीय/ अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उन्नाव को निरस्त करते हुए उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड को पूर्व में स्वीकृत प्राक्कलन की लागत रू0 204.97 लाख के अनुसार कार्य सम्पादित करने हेतु कार्यदायी संस्था नामित किया गया था।

2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-जी0-510/ ग्रा0अ0वि0/नियोजन-2020-21, पत्रा-161, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 में जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु किये गये अनुरोध कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के शासकीय विभाग होने तथा उच्च गुणवत्ता का कार्य कराये जाने के दृष्टिगत कार्य व स्वीकृति धनराशि यथावत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के पास रखी जाय।

3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0 लखनऊ के उपरोक्त पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2020 में किये गये अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड विषयक शासनादेश संख्या-31/2020/ सा0-235/38-2-2020-सा0-1133/18टीसी दिनांक 26 अगस्त,2020 को निरस्त करते हुए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उन्नाव को पूर्व में स्वीकृत प्राक्कलन की लागत रू0 204.97 लाख के अनुसार कार्य सम्पादित करने हेतु कार्यदायी संस्था नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- शासनादेश संख्या-7/2020/सा0-49/38-2-2020-सा0-1133/18टीसी दिनांक 14 फरवरी, 2020 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबंध यथावत रहेंगे तथा शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

5- उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को निर्माण कार्य न कराये जाने के संबंध में तत्काल निर्देशित करने संबंधी शासनादेश संख्या-30/2020/ सा0-231/38-2-2020-सा0-1133/2018टीसी, दिनांक 24 अगस्त, 2020 को भी निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-37**/2020/सा0-268(1)/38-2-2020 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, उन्नाव।
5- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उन्नाव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को पूर्व में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 102.485लाख के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
6- कोषाधिकारी, उन्नाव।
7- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उन्नाव।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
9- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्राखण्ड, उन्नाव ।
10- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद् (ग्राम्य विकास विभाग,उ0प्र0)लखनऊ।
11- प्रबंध निदेशक उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम,टीसी 46, विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ।
12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।